मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
तथा
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

क्रमांक / 933 / MGNREGS-MP / NR-3 / SE-I / 2014, भोपाल, दिनांक 29 / 01 / 2014

प्रति,

- **कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला (समस्त)**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त)**
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
- **जिला रेशम अधिकारी (समस्त जिला) म.प्र.**

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अभिसरण से टसर खाद्य पौधे का क्षेत्र बढ़ाने वन्या एवं शहतूत रोपण के विस्तार हेतु रेशम उपयोजना के क्रियान्वयन को ''दृष्टिपत्र 2018'' के परिप्रेक्ष्य में गति प्रदान करने हेतु।

संदर्भ :– मनरेगा की रेशम उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्र. 9877 / 22 / वि–7 / एनआरजी / 2007, भोपाल दि. 25.06. 2007।

cccccccc

प्रदेश में टसर खाद्य पौधो का क्षेत्र बढाने के उद्देश्य से वन विभाग तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अभिसरण से वन्या उपयोजना एवं शहतूत रोपण का क्षेत्र विस्तार करने के लिये रेशम संचालनालय के अभिसरण से रेशम उपयोजना की आयोजना क्रियान्वयन के निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जून 2007 में जारी किये गये। टसर पौध रोपण के क्षेत्र में रेशम संचालनालय द्वारा 12 जिलों में 1304 हेक्टे. एवं वन विभाग 4572 हेक्टे. क्षेत्र स्वीकृत कर कार्य किया जा रहा है। शहतूत रोपण (मलबरी) के क्षेत्र में रेशम संचालनालय द्वारा 13 जिलों में लगभग 265 हेक्टे. क्षेत्र स्वीकृत कर कार्य किया जा रहा है। दोनों उपयोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के जाबकार्डधारी परिवारों को अतिरिक्त लाभ अर्जित होगा जो स्थायी आजीविका का प्रमुख संसाधन बन सकेगा। राज्य शासन के ''दृष्टिपत्र 2018'' के अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.I.1.1 व 1.I.1.2 में लगभग 4000 हेक्टे. नये क्षेत्र को मलबरी रेशम उत्पादन से जोडे जाने एवं रेशम उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। दृष्टिपत्र के अध्याय 1 – कृषि, सिंचाई और विविधिकरण बिन्दु क्र. 1.I.2.1 में टसर कीट पालन के वर्तमान वन क्षेत्र 25000 हेक्टे. को बढाकर

40000 हेक्टे. किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन निर्देशों में अनुसूची–1 धारा 4(3) के बिन्दु क्र. 4(1) श्रेणी 'अ' I (v) में वनीकरण अंतर्गत सामुदायिक एवं वन भूमि पर पौधा रोपण किये जाने तथा श्रेणी 'ब' (ii) के अंतर्गत मनरेगा अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की आजीविका गतिविधियों के सुदृढीकरण हेतु Sericulture का कार्य अनुमत किया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत दोनों उपयोजनाओं के क्षेत्र का विस्तार किये जाने एवं कियान्वयन में गति लाये जाने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये ग्रामीण विकास विभाग एवं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से सभी जिलों/कियान्वयन ईकाइयों को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है। विवरण निम्नानुसार है :

1. दोनों उपयोजनाओं के अंतर्गत कार्यो का संपादन मनरेगा के कार्यो के कियान्वयन हेतु लागू ग्रामीण विकास विभाग की दिनांक 01.04.2013 के उपरांत लागू जिला दर अनुसूची के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर किया जावेगा।

2. रेशम उपयोजना एवं वन्या उपयोजना के प्राक्कलन में तैयार करने में जो कार्य के मद नरेगा साफ्ट में शामिल नहीं है, उन्हें रेशम संचालनालय के संबंधित जिले के जिला रेशम अधिकारी यथाशीघ्र जिला पंचायत में जिला दर अनुसूची पुनरीक्षित करने हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिससे समिति के अनुमोदन उपरांत गतिविधि विशेष को एवं उसकी दर को नरेगा साफ्ट में शामिल किया जा सके।

3. **दृष्टिपत्र 2018 में लगभग 4000 हेक्टे. नये क्षेत्र को मलबरी रेशम उत्पादन से जोडे जाने एवं रेशम उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर विकसित किये जाना है।** रेशम उपयोजना का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया जाएगा।

4. महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत निम्न श्रेणी के परिवारों के स्वामित्वाधीन भूमि अथवा कृषक के निवास की भूमि पर हितग्राही मूलक कार्य किये जा सकते है। अतएव विभाग द्वारा रेशम उपयोजना हेतु जारी संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 2.2 और 2 में दर्शित हितग्राहियों के पात्र वर्ग में विस्तार करते हुये निम्न वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन शहतूत वृक्षारोपण हेतु किया जा सकेगा :–

I. अनुसूचित जाति परिवार।
II. अनुसूचित जनजाति परिवार।
III. आदिम जनजाति परिवार।
IV. अधिसूचित अनुसूचित जनजाति परिवार।
V. अन्य गरीबी रेखा वाले परिवार।
VI. ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है।
VII. ऐसे परिवार जिनके मुखिया विकलांग हैं।
VIII. भूमि सुधार के लाभार्थी परिवार।

IX. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही।

X. वन अधिकार अधिनियम 2006, (2 of 2007) अन्तर्गत लाभान्वित हक प्रमाण पत्र धारक।

XI. ग्राम पंचायत अंतर्गत उपरोक्त' श्रेणी के पात्र हितग्राही लाभान्वित किये जाने के उपरांत।

XII. लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण माफी एवं राहत योजना 2008 में यथा परिभाषित) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योजना का क्रियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन (INRM) एप्रोच के तहत किये जाने हेतु निर्देश दिये है। अतएव बिन्दु i से x तक के कृषकों के समीप लघु व सीमान्त कृषक की भूमि आने पर उन्हें एकसाथ लाभान्वित किया जा सकेगा।

परन्तु, महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार उपर्युक्त उल्लेखित श्रेणी के परिवारों के खेत–खलिहान में व्यक्तिगत कार्य निम्न शर्तों के अध्याधीन ही प्रारंभ किये जा सकते है :–

(i) उक्त श्रेणी के परिवार का जॉबकार्डधारी होना अनिवार्य होगा।

(ii) लाभार्थी अपनी खेत–खलिहान की भूमि अथवा कृषक के निवास की भूमि पर शुरू की गई परियोजना पर कार्य करेंगे।

(iii) लाभार्थी की भूमि या कृषक के निवास की भूमि पर लिये जाने वाले कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के Shelf of Project (SOP) का अनिवार्य रूप से हिस्सा होंगे।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 1 में उल्लेखित श्रेणियों के परिवारों की निजी भूमि/कृषक के निवास की भूमि पर निम्न कार्य लिये जा सकते हैं :–

on-farm अनुमत्य कार्य (कृषि योग्य भूमि पर अनुमत्य कार्य) :–

i. भूमि समतलीकरण तथा भूमि सुधार।
ii. कुआँ निर्माण (कपिल धारा उपयोजना अन्तर्गत)
iii. फार्म पौंड निर्माण
iv. नाला बंधान/लघु स्टॉपडेम।
v. नर्सरी निर्माण।
vi. कृषि–उद्यानिकी।
vii. कृषि–वानिकी।

off-farm अनुमत्य कार्य (गैर कृषि योग्य भूमि पर अनुमत्य कार्य) :–

(i) NADEP निर्माण ।
(ii) Vermi-compost निर्माण ।
(iii) गाय–भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण ।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से संबंद्ध स्व–सहायता समूह को बायोखाद एवं कृषि उत्पाद को रखने के लिए छोटे गोदाम।

(v) स्व–सहायता समूह द्वारा संचालित बायोखाद तैयार किये जाने जैसी आजीविका गतिविधियों हेतु सामुदायिक शेड निर्माण।

5. **दृष्टिपत्र 2018 टसर कीट पालन की वर्तमान वन क्षेत्र 25000 हेक्टे. को बढाकर 40000 हेक्टे. किया** जाना **है।** वन्या उपयोजना का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया जावेगा।

6. **अनुमत्य कार्यों** के **संचालन** के **लिए निम्न कार्य किया जाना आवश्यक है :–**

i. **अनुमत्य कार्य के फ्लैक्स लगाना** – मनरेगा अधिनियम में वर्णित अनुमत्य कार्यों की सूची एवं उन कार्यों के लिये पात्र हितग्राही का विवरण दर्शाते हुए फ्लैक्स तैयार किया जावेगा।

ii. **स्थल का पटवारी नक्शा प्राप्त करना** – ग्राम/ग्राम पंचायत का पटवारी नक्शा प्राप्त कर नक्शे में मनरेगा योजना के पूर्ण कार्य, अपूर्ण कार्य, स्वीकृत परंतु अप्रारंभ कार्यों तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों का चिन्हांकन किया जावेगा।

7. **ट्रांजिट वॉक** – उपयंत्री, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं रेशम विभाग के मैदानी स्तर पर पदस्थ जिला रेशम अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारी भ्रमण कर उपयुक्त स्थल का चयन किया जावेगा। ट्रांजिट वॉक के ठीक उपरांत उपयंत्री व फील्ड आफिसर रेशम द्वारा मौके पर सभी माप लेकर जिला रेशम अधिकारी के मार्गदर्शन में प्राक्कलन संयुक्त रूप से तैयार किये जावेंगे। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा जिसमें, मजदूरी/सामग्री अनुपात 60:40 की स्थिति, कार्य में सृजित होने वाले मानव दिवस, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की संभावित तिथि, स्थल का चयन, भूमि की उपलब्धता, माप के आधार, एवं कार्य की उपयोगिता जैसी जानकारियां दर्शायी जावेंगी। कार्य की उपयोगिता से आशय यह है कि प्रस्तावित कार्य के अभाव में क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण परिवारों की आजीविका व रोजगार के क्या साधन थे। प्रस्तावित कार्य से कितने परिवारों को कब से कितनी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी एवं उनके रहन–सहन के स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन संभावित रहेगा। इसकी जानकारी तकनीकी प्रतिवेदन में दी जावे।

8. **कार्यों का सूचीकरण** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों को सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जावेगा।

9. अभिसरण –

गतिविधि का नाम	अभिसरण	
	मनरेगा	रेशम
शहतूत वृक्षारोपण (मलबरी)सामुदायिक भूमि पर एवं बिन्दु 4 में दर्शित पात्र वर्ग के हितग्राहियों की निजी स्वामित्व की भूमि पर – परियोजना प्रस्ताव वृक्षारोपण व पौधो की देखभाल सहित 3 वर्ष हेतु	1. शहतूत वृक्षारोपण सामुदायिक भूमि पर। 2. पात्र वर्ग के हितग्राहियों की निजी भूमि पर। 3. वृक्षारोपण अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था हेतु लघु तालाब, खेत तालाब, कूप निर्माण, खाद तैयार करने हेतु नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि। **मनरेगा से व्यय राशि शत–प्रतिशत, 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद स्तर पर संधारण।**	1. रेशम कीट पालन के लिये आवश्यक संरचना जैसे कृमि पालन भवन इत्यादि – रेशम संचालनालय एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सीडीपी योजना से 2. कियान्वयन में संलग्न जाबकार्डधारी श्रमिकों को अतिरिक्त आय अर्जित कर स्थायी आजीविका के सृजन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण
टसर खाद्य पौधो (अर्जुन, साज) का रोपण – क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव वृक्षारोपण व पौधो की देखभाल सहित 3 वर्ष हेतु	टसर उत्पादन हेतु वन क्षेत्र में टसर खाद्य वृक्षो/साज का रोपण। गैर वन पडत भूमि पर भूमिहीन व्यक्तियों के स्व–सहायता समूह से टसर खाद्य पौधों का रोपण। **मनरेगा से व्यय राशि शत–प्रतिशत, 60 : 40 मजदूरी सामग्री अनुपात जनपद स्तर पर संधारण।**	गैर वन पडत भूमि का चिन्हांकन, स्थायी आजीविका के सृजन हेतु प्रशिक्षण एवं कृमि पालन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन

10. **60:40 अनुपात का ध्यान रखना** – मनरेगा अधिनियम के प्रावधान अनुसार मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 के अनुपात के न्यूनतम मापदण्ड से कम नहीं होना चाहिये। निर्धारित अनुपात प्रत्येक कार्यवार न होकर जनपद पंचायत के स्तर पर कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिये रखा जाना चाहिए।

11. **लेबर बजट तैयार करना**– प्रत्येक जिले में रोजगार की मांग के आधार पर सृजित होने वाले मानवदिवस एवं क्रियान्वित होने वाले कार्यों की लागत के अनुसार लेबर बजट तैयार किया जाना है। लेबर बजट त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अनुमोदित होना आवश्यक है।

12. **कार्यों की प्राथमिकता तय करना** – मनरेगा अधिनियम की अनुसूची – 1 में अनुमत्य कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। अतएव सहायक संचालक रेशम कार्य का संपादन किस सीजन में जैसे गर्मी, बरसात, शीत एवं वसंत ऋतु में किया जाना है यह संबंधित ग्राम पंचायत को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सूचित करेंगे।

13. **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करना** – लेबर बजट के आधार पर संभावित रोजगार की मांग प्रथम दृष्टया परिलक्षित होती है। लेबर वजट अनुसार सृजित हो सकने वाले मानव दिवस संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण किया जावेगा। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का निर्माण म.प्र. शासन. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों का पालन करते हुये किया जावेगा।

14. **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन** – ग्राम का शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत में सम्मिलित सभी ग्रामों की ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जनपद पंचायत द्वारा एवं जनपद पंचायतों से अनुमोदित शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा।

15. **कार्यों की स्वीकृतियां – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति** – ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन जिला दर अनुसूची जो 01 अप्रैल 2013 के बाद जारी हुई के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति जारी होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जा सकेंगी।

16. **शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट का नरेगा सॉफ्ट में संकलन** – शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों का संकलन नरेगा सॉफ्ट में जिला रेशम अधिकारी द्वारा संबंधित जनपद पंचायत के माध्यम से किया जावेगा।

17. **प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर डीपीआर फ्रीज करना** – अनुमोदित शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में सम्मिलित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति रेशम संचालनालय या कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा की जावेगी। तदोपरान्त कार्यों के डीपीआर नरेगा साफ्ट में जनपद स्तर पर सहायक संचालक रेशम/रेशम संचालनालय द्वारा नामांकित अन्य अधिकारी द्वारा फ्रीज कराये जावेंगे।

18. **कार्यो की क्रियान्वयन** – मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यो की क्रियान्वयन एजेन्सी रेशम संचालनालय के जिला रेशम अधिकारी रहेंगे। कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नामांकित मैदानी अधिकारी ग्राम पंचायत में संधारित वार्षिक कार्ययोजना एसओपी पंजी से कार्य का आवंटन एवं जाबकार्डधारी श्रमिकों की रोजगार की मांग अनुसार व ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से ई–मस्टर रोल प्राप्त करना। कार्यो का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. 3 दि. 15.03.2013 "मनरेगा अधिनियम के तहत लाईन विभागों एवं शासन द्वारा घोषित अन्य क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो के निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका" के तहत किया जावेगा। जाबकार्डधारी परिवार द्वारा अथवा

किन्हीं सदस्य द्वारा स्वयं की भूमि में कार्य संपादन में स्वयं कार्य करना होगा जिसकी मजदूरी अन्य श्रमिकों के समान उन्हें भी प्राप्त होगी।

19. **क्रियाशील जॉबकार्डधारी समूहों द्वारा कार्य का सम्पादन** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाशील जॉबकार्डधारियों के भूमिहीन तथा भूमिधारी पृथक–पृथक समूह गठित किये गये है। प्रत्येक समूह में 30 परिवार सदस्य होंगे। समूह के सदस्यों द्वारा कार्य पर्यवेक्षक के रूप में मेट का चयन किया गया है। मेट की योग्यता न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है। मेट के मुख्य कार्य समूह से रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त करना, आवेदन संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को प्रस्तुत करना, पावती प्राप्त कर सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराना, कार्यस्थल पर श्रमिकों की ई–मस्टर रोल पर उपस्थिति लेना, कार्य का प्रारंभिक माप दर्ज करना आदि है।

20. **रोजगार सप्ताह से कार्य को प्रारंभ करना** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन का निर्धारण पूर्व से ही किया गया है। जिसे ''रोजगार गारंटी दिवस'' कहा जाता है। कार्य प्रारंभ होने के 06 दिन उपरांत रेशम संचालनालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया जावेगा एवं जनपद स्तर से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित माप पुस्तिका प्राप्त कर उसमें मूल्यांकन की प्रविष्टि की जावेगी। इस प्रकार, रोजगार सप्ताह में कराए गए कार्य के मूल्यांकन उपरांत तथा सहायक यंत्री नरेगा के सत्यापन उपरांत एफटीओ के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

21. **मजदूरी भुगतान 15 दिवस के अंदर सुनिश्चित करना** – कार्य का संपादन ई–एफएमएस प्रणाली से एवं अधिनियम अनुसार 15 दिवस में मजदूरी का भुगतान करना वैद्यानिक बाध्यता है। रेशम संचालनालय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य के साप्ताहिक मूल्यांकन व सहायक यंत्री नरेगा द्वारा मूल्यांकन सत्यापन पश्चात् सहायक लेखाधिकारी मनरेगा, एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एमआईएस सुनिश्चित करते हुये एफटीओ जारी कर श्रमिकों एवं सामग्री प्रदायदाता को उनके बैंक/पोस्ट आफिस के खातों में भुगतान किया जावेगा।

22. **खसरे में दर्ज करना** – कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित पटवारी के नक्शे – खसरे में वृक्षारोपण कार्य व अपनी परिसम्पत्तियों का इन्द्राज कराया जावे।

23. **सामाजिक अंकेक्षण एवं पारदर्शिता** – ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए गए प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। अतएव रेशम संचालनालय के संबंधित अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण के समय उपस्थित रहकर ग्राम वासियों को परियोजना संबंधी जानकारी उपलब्ध करावे।

24. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला रेशम अधिकारी की संयुक्त बैठक आहूत की जावेगी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत

में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में परिपत्र की कंडिका 4 में वर्णित हितग्राहियों के लिए एवं सामुदायिक कार्यो को शामिल कराने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित रणनीति तैयार करेंगे।

25. उक्त दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो इस हेतु जिला रेशम अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद से लगातार समन्वय स्थापित करेंगे। रेशम संचालनालय के मैदानी अधिकारी के वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्ययोजना में उक्त कार्यों को सम्मिलित कराने हेतु ग्राम पंचायतों से समन्वय तथा सम्पर्क स्थापित करेंगे। जिला रेशम अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में फील्ड आफीसर रेशम को अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कंडिका 4 में पात्र हितग्राहियों की सूची व सामुदायिक कार्यो की सूची प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन में सेतु की भूमिका का निर्वहन करेंगे। शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट दिनांक 26 जनवरी, 2014 की ग्राम सभा में अनुमोदन होने हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुये रेशम संचालनालय के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

26. दोनों उपयोजना के कार्यो के लिए कार्यो के चयन, प्राक्कलन, स्वीकृति, मूल्यांकन, भुगतान तथा पर्यवेक्षण के लिए म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा जारी परिपत्र क्र. 3 के समस्त दिशा–निर्देश यथावत् लागू होंगे।

27. कार्य की एजेन्सी रेशम संचालनालय होने के कारण लेखा संधारण व अंकेक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा एवं अंकेक्षण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। प्रत्येक कार्य का सामाजिक अंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।

28. प्रत्येक कार्यस्थल पर सूचना फलक लगाया जावेगा। मूल्यांकन का कार्य सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा साप्ताहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

29. श्रमिकों का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस में फ्रीज किये गये खातों में जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से निर्धारित अवधि में किया जावेगा। जिन हितग्राहियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं खुले हैं उन हितग्राही कृषकों के खाते खुलवाने में जिला रेशम अधिकारी सहयोग करेंगे।

30. वर्ष 2014–15 में दोनों उपयोजनाओं का महात्मा गांधी नरेगा रेशम संचालनालय एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संचालित कार्यक्रमों के अभिसरण से किया जाकर ग्रामीण परिवारों की स्थायी आजीविका सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही की जावे।

उक्त कार्य राज्य शासन के दृष्टिपत्र 2018 के महत्वपूर्ण

प्रावधानों की पूर्ति की दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। अतः इस संयुक्त परिपत्र पर त्वरित तथा प्राथमिकता से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(शिखा दुबे)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

13/1/14
(डॉ. अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचा. एवं ग्रा.वि. विभाग

पृ. क्रमांक/ 934 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 29/01/14

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, मनरेगा।
5. आयुक्त, पंचायतीराज।
6. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.।
7. आयुक्त, रेशम संचालनालय, सतपुडा भवन, (बेसमेंट) भोपाल।
8. समस्त संभागायुक्त।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल म.प्र.
10. समस्त कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)
11. समस्त जिला रेशम अधिकारी, समस्त जिला म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रति,

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर ।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

13/1/14
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचा. एवं ग्रा.वि. विभाग